1345-70
27/7/2011

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/DCE/1802-II/1345-1370 दिनांक 27 जुलाई, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 को अपरान्ह 1.00 बजे श्रीमती आनन्दी, आई.ए.एस., आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजीव गांधी कॉलोनी के भूखण्ड़ों के प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श

1– **राजीव** गांधी नगर योजना में दिनांक 15.02.2010 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतू आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटी 15: वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (पप) के अनुसार उक्त स्वतः रद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटीत द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक में उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है ये समस्त वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है। उपरोक्तानुसार राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में निम्नानुसार प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुए:–

क्रं सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्रीमती गोदावरी पत्नी श्री रामचन्द्र	ए–94	22.03.2010	19.06.2010	18.06.2011
2	श्रीमती रश्मी पत्नी श्री रामचन्द्र	ए–221	22.03.2010	19.06.2010	18.06.2011
3	श्री राजन पुत्र श्री प्रभुलाल	बी–171	19.03.2010	16.06.2010	15.06.2011
4	श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री देवीराम	जी–18	19.03.2010	16.06.2010	15.06.2011
5	श्री किसन कंसारा	बी–38	08.04.2010	05.07.2010	04.07.2011

607
1/8/11

90 B
R. L

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	पुत्र श्री छगनीराम				

प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटी जिनके भूखण्ड को स्वत: निरस्तीकरण की तिथि (आवंटन-पत्र की तिथि से 90 दिवस) से 1 वर्ष या अधिक अवधि गुजर चुकी है और उनके द्वारा देय राशि जमा नहीं करायी गई है और अब राशि जमाकराना चाहते हैं, को अन्तिम अवसर के रूप में दिनांक 31 अगस्त, 2011 तक का समय दिया जावे। यदि उक्त तिथि तक उनके द्वारा देय राशि मय शास्ति व ब्याज जमा नहीं कराई जाती है, तो उन्हें लीज डीड जारी नहीं किया जावेगा। संबंधित बकायादारों को इस बाबत नोटिस जारी किया जावे व समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावे। बाकीदारों की सूची, बकाया राशि की गणना फार्मूला व बकाया राशि का विवरण नागरिक सुविधा केन्द्र पर व प्राधिकरण की वेबसाईट पर संबंधित उपायुक्त दिनांक 30 जुलाई, 2011 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि तक बकाया राशि जमा कराने पर भूखण्ड आवंटन का नियमितीकरण कर लीज डीड जारी किया जावे। ऐसी ही प्रक्रिया स्वत: निरस्तीकरण तिथि से 1 वर्ष तक की अवधि वाले प्रकरणों में अपनायी जावे।

2- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं मे आवासीय योजनाओं में भूखण्डों को आवंटन/नीलाम कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र/नोटिस जारी किये जाते है। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटी 15% वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वत: निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (iii) के अनुसार यदि न्यास अपने हित में ऐसे विनियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को मामला निर्दिष्ट करता है या एक आवंटिती, ऐसे विनियमितीकरण के लिए विस्तृत तथ्यों को वर्णित करते हुए सरकार को आवेदन करता है, तो राज्य सरकार आवंटिती द्वारा भूमि की लागत और व्यय, यदि कोई हो, और उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती के भुगतान पर ऐसे विनियमन की अनुमति दे सकती है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(3) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियां राज्य सरकार की ही रहेगी निम्नानुसार प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में प्रकरण विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुए:-

क्र. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वत: निरस्तीकरण की दिनांक	स्वत: निरस्तीकरण की दिनांक से दो वर्ष की दिनांक
1	श्री ईश्वर शर्मा	64 सेक्टर 1	रामराज नगर	12.09. 2008	09.12.2008	08.12.2010
2	श्री नाथु सिंह	103 सेक्टर 1	रामराज नगर	12.09. 2008	09.12.2008	08.12.2010
3	श्री सीताराम	146 सेक्टर 1	रामराज नगर	12.09. 2008	09.12.2008	08.12.2010
4	श्रीमती रसीदा	7	पत्रकार कॉलोनी ग्राम चौखा	21.09. 2005	05.11.2005	04.11.2007

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

			खसरा नं. 702, 703, 704 व 727			
5	श्रीमती हीरा देवी व अन्य	50	विजयराजे नगर	23.01.2010	02.02.2010	01.02.2012

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिनको भूखण्ड आवंटित किये गये हैं और उनके द्वारा निश्चित समयावधि में राशि जमा नहीं करवायी गयी है उनके लिए एक विज्ञप्ति निकाली जाये कि वे दिनांक 31 अगस्त, 2011 तक समस्त बकाया राशि अर्थात् आवंटन राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा किये जाने पर विचार किया जाकर विलम्ब में छूट के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जाना सम्भव होगा अन्यथा निश्चित समयावधि दिनांक 31 अगस्त, 2011 के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही किया जाना मान्य नहीं होगा। दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक कुल बकाया राशि का विवरण संबंधित उपायुक्त एकल खिडकी में उपलब्ध कराया जायेगा जिससे जमा करवाने वाले को एकल खिडकी में राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।

3— नगर विकास न्यास, (जो.वि.प्रा.) जोधपुर, द्वारा दिनांक 23.04.2006 को वाम्बे योजना चौखा व वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में निर्मित आवास गृहों की लॉटरी निकाली गई थी। सफल आवेदकों के आवंटन–पत्र जारी किये गये थे। प्रार्थीनी श्रीमति भीखी देवी पत्नि श्री तुलसीराम को आवंटन–पत्र दिनांक 03.05.2008 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था। प्रार्थीनी द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं करवाई गई थी। आवंटन–पत्र की शर्त संख्या एक अनुसार समयावधि पर राशि जमा नहीं कराने के कारण आवास स्वत: निरस्तीकरण हो चुका है। प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र पेशकर नियमानुसार एक मुश्त राशि जमा करने की मांग की है। नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित राशि प्राधिकरण द्वारा 2 वर्ष तक जमा की जा सकती थी। प्रकरण 2 वर्ष से अधिक समयावधि का होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुए:–

क्र स.	नाम व पिता/पत्नि का नाम	आवास संख्या	आवंटन पत्र जारी की तिथि	समयावधि	विवरण
1.	श्रीमति भीखी देवी पत्नि श्री तुलसी राम	बी–266 वाम्बे योजना चौखा	03.05.2008	3 वर्ष 2 माह	

प्रकरण 2 वर्ष से अधिक समयावधि का होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भिजवाया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि समान प्रकृति के ऐसे प्रकरणों में भी दिनांक 31 अगस्त, 2011 तक यदि देय आवंटन राशि, ब्याज व शास्ति जमा करा दी जाती है तो उन्हें राज्य सरकार को नियमितीकरण की स्वीकृति हेतु भिजवा दिया जावे। इस बाबत बाकीदारों को नोटिस जारी किया जावे व विज्ञप्ति प्रकाशित की जावे।

इस पर चौखा, बासनी तम्बोलिया मामा अचलेश्वर नगर व कीर्तिनगर योजना में रिक्त तथा आवंटन से शेष आवासों की संख्या पूछे जाने पर निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एवं संबंधित उपायुक्त सात दिवस की अवधि में सर्वे करवाकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विकास कार्यों के संबंध में।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रस्ताव संख्या 2 (1) :: भदवासिया रेल्वे कॉसिंग से जयपुर रोड तक वाया माता का थान सडक एवं नाला निर्माण का शेष कार्य (रिस्क एण्ड कॉस्ट) (अनुबन्ध संख्या एफ. 38 (6) 2011–12 उत्तर)

भदवासिया रेलवे कॉसिंग से जयपुर रोड तक वाया माता का थान सडक एवं नाला निर्माण का शेष कार्य मैसर्स छगनीराम गहलोत को आवंटित किया जा चुका है। जिसका कार्यादेश रूपये 8,24,89,579/– का है। कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमश 27 जून, 2011 एवं 26 जून, 2012 निर्धारित है। मौके पर संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

कार्य को निर्धारित तिथि से संपूर्ण करने से पूर्व कार्य में रूकावट पैदा हो रही है क्योंकि कार्यस्थल पर ड्रैन (चुनाई 1:3) मसाले में एवं अन्य आईटम जो कि तकमीने में सम्मिलित नहीं है उनको अतिरिक्त आईटम के तहत स्वीकृत करवाया जाना अति आवश्यक है। जिसकी लागत 3,16,17,709.12 है जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सिविल कार्यों हेतु रूपये 967.55 लाख तक बढाया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य की वित्तय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 1250.00 लाख है जिसमें से सिविल कार्या हेतु 869.97 लाख है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। विस्तृत विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हितों अर्थात नये टेण्डर करने से वित्तीय भार को रोकने एवं अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी तथा दोनों कार्यों के ठेकेदारों में समन्वय नहीं होने की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त आईटम/कार्य बाबत 3.16 करोड़ रूपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 (2) :: कायलाना क्षेत्र का विकास कार्य

कायलाना क्षेत्र के विकास के संबंध में सम्यक संस्थान, जयपुर द्वारा परियोजना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। सम्यक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि कायलाना क्षेत्र के विकास के संबंध में सम्यक संस्थान, जयपुर द्वारा परियोजना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। सम्यक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि करीब 2.00 करोड़ रूपये का कार्य है चूकि भूमि वन विभाग की होने से कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग के साथ कार्य के लिए एम.ओ.यू. किया जो तथा यूजर फिस समय समय पर तय की जावे। इन सभी कार्यवाही हेतु एक कमेटी बनायी जाये एवं तदनुसार कार्य किया जावे। इस बाबत विस्तृत तकमीना प्राप्त कर 2.00 करोड़ रूपये की सीमा तक प्रशासनिक एवं वित्तीय जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (3) :: विवेक विहार योजना में लाईन शिफ्ट करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

विवेक विहार योजना में 220 केवी/ 132 केवी ईएचवी लाईनो को शिफ्ट करने हेतु राशि 14.00 करोड़ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में जमा कराया जाना

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

है। अतः 14.00 करोड रूपये की राशि जमा कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि विवेक विहार योजना में 220 केवी/132 केवी ईएचवी लाईनों को शिफ्ट करने हेतु राशि 14.00 करोड़ रूपये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में जमा कराया जाना है।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना के उत्कृष्ठ स्वरूप हेतु उक्त कार्य बाबत 14.00 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 (4) :: नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन

1— नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति का अनुमोदन —

1. शेड्यूल आफ पॉवर आईटम सं. 1 (1) के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है —

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाखों में)
1	एम्स परिसर से सांगरिया फांटा तक सीवर लाईन बिछाने का कार्य(इस कार्य की आयुक्त महोदया की स्वीकृति से टेण्डर किये जा चुके है)	230.64
2	सांगरिया गांव मे सीवर लाईन व सीमेन्ट सडक का निर्माण कार्य	268.33
3	पाल पुलिस चौकी से सांगरिया फांटा तक सडक निर्माण कार्य(प्रशासनिक स्वीकृति निदेशक महो0 से प्राप्त की जा चुकी है)	101.76

विस्तृत विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त तीनों कार्य कराने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. शेड्यूल आफ पॉवर के अनुसार निविदा खोलने के 30 दिवस के अंतर्गत कार्यादेश दिया जाना आवश्यक है, विलम्ब से कार्यादेश दिये जाने की पुष्टि हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है —

क्र. सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	निविदा सं. व कार्यादेश का विवरण	विशेष विवरण
1	शोभावतो की ढाणी स्थित नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य	मैसर्स राजलक्ष्मी इन्टरप्राईजेज	निविदा संख्या 8/11–12 दिनांक 20.05.11 को खोली गई कार्यादेश दिनांक 27.06.11. को जारी किया गया व कार्यादेश राशि रूपये 194353/– का दिया गया	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति विलम्ब से होने (दिनांक 13.06.11.) के कारण कार्यादेश देरी से दिया गया ।
2	औद्योगिक क्षेत्र बासनी से पाली बाई पास वाया आशापूर्णा एन्कलेव	मैसर्स राज कॉन्ट्रेक्टर एण्ड ट्रांसपोर्टर	निविदा सं. 7/11–12 दिनांक 16.05.11 को निविदा खोली गई कार्यादेश दिनांक 05.7.11 को राशि रूपये 8142281/– का	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति विलम्ब से होने (दिनांक 13.06.11) के कारण कार्यादेश देरी से

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	होते हुए सडक निर्माण		दिया गया ।	दिया गया ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में अवगत कराया गया कि उपरोक्त दोनों कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13 जून, 2011 को दी गयी जिसके विरूद्ध कार्यादेश कमशः 27 जून, 2011 एवं दिनांक 5 जुलाई, 2011 को दिये गये इस प्रकार विलम्ब से कार्यादेश जारी किया जाना गम्भीर विषय है। इस बाबत आगामी बैठक में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता विलम्ब के कारण स्पष्ट करेंगे व विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिको का चिन्हीकरण करेंगे। भविष्य में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात् ही टेण्डर किये जावे अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 3 :: सेवा नियमों के संबंध में विचार विमर्श

सेवा नियम बनाये के संबंध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 में हुए निर्णयानुसार प्राधिकरण के सेवा नियम बनाये जाने हेतु समिति का गठन किया गया है। जिसमें सचिव, निदेशक--वित्त, निदेशक--विधि, प्रभारी अधिकारी स्थापना सदस्य हैं एवं निदेशक--अभियांत्रिक एवं निदेशक--आयोजना विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। प्रभारी अधिकारी, स्थापना उक्त समिति के समन्वयक हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा सेवा संबंधी निम्न नियम बनाये गये हैं:--

1-- The JDA (General Terms and conditions of transfer of Officers and employees) Rules
2-- जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी आचरण विनियम 1983
3-- जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1984
4-- जयपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम 1984
5-- जयपुर विकास प्राधिकरण (पेशन नियम) 1990
6-- जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी भर्ती एवं सामान्य शर्तें विनियम, 1984

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त नियमों की प्रतियां समस्त कार्यकारी समिति के सदस्यों को अध्ययन एवं आवश्यक सुझाव/ सुधार हेतु दी जावे, जो बैठक में दी गई। बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक से पूर्व सदस्यगण अपने सुझावों से लिखित में अवगत करायेंगे ताकि विचार विमर्श सेवा नियमों को अन्तिम रूप दिया जा सके। निदेशक--वित्त सभी सदस्यों से सुझाव संकलित कर संबंधित समिति के समक्ष पेश करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।

1-- बैठक में अवगत कराया गया कि विवेक विहार योजना के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 26.10.2004 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.05.2010 व 04.02.011 की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण के निर्णय अनुसार मूल अवार्डी को आरक्षण पत्र जारी किये जा रहे है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त अवार्डियों को विकसित भूमि दी जानी है तथा 40 फीट सड़क तक उसी सेक्टर में भूखण्ड दिये जाने है। अतः मुआवजे में दी जाने वाली आवसीय विकसित भूमि की लोटरी एवं भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में प्रकिया निर्धारण हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि कृषि भूमि की अवाप्ति मामलों में आवासीय विकसित भूमि आवंटन हेतु आयुक्त

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2010 में लिये गये निर्णयानुसार मुआवजे में देय आवासीय भूखण्ड से संबंधित निम्नानुसार भूखण्ड आवंटित किया जावे:-

1- 1000 से 2000 वर्ग मीटर विकसित आवासीय भूमि प्राप्त करने वाले अवार्डी को 500 वर्ग मीटर का एक प्लाट
2- 2000 से 5000 वर्ग मीटर विकसित आवासीय भूमि प्राप्त करने वाले अवार्डी को 500 वर्ग मीटर के दो प्लाट एवं
3- 5000 से 10,000 वर्ग मीटर विकसित आवासीय भूमि प्राप्त करने वाले अवार्डी को 500 वर्ग मीटर के तीन प्लाट
4- 10,000 वर्ग मीटर से अधिक विकसित आवासीय भूमि प्राप्त करने वाले अवार्डी को 500 वर्ग मीटर के चार भूखण्ड दिये जावे।

शेष विकसित आवासीय भूमि बाबत उपलब्ध सभी आकार के भूखण्ड लगभग समान संख्या में दिये जावे। आवासीय भूखण्डों का निर्धारण अवार्ड प्रकरणवार कम्प्यूटरीकृत लॉटरी से किया जावे।

2- उक्तानुसार अवार्डियों को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.05.2010 एवं 04.02.2011 के अनुसार मुआवजे में दी जाने वाली अधिकतम 20 प्रतिशत आवसीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दी जानी हैं। अतः उक्त भूमि के आवंटन एवं लोटरी हेतु प्रकिया निर्धारण हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय लिया गया कि सेक्टरवार एवं कण्डीशनवार डिमाण्ड दिनांक 18 जुलाई, 2011 तक उपायुक्त द्वारा बनायी जाकर निदेशक-आयोजना को दी जायेगी एवं निदेशक-आयोजना द्वारा इसका प्लान दिनांक 23 जुलाई, 2011 तक बनाया जायेगा तत्पश्चात् कार्यकारी समिति की आगामी बैठक दिनांक 28/29 जुलाई, 2011 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

3- रूपान्तरित भूखण्ड के मुआवजे धारको को विकसित भूमि आवटन एवं लोटरी की प्रकिया निर्धारण हेतु प्रकरण विधारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय लिया गया कि चूंकि आदेश दिनाक 20 मई, 2010 के अनुसार रूपान्तरित आवासीय भूखण्ड वाले अवार्डी को समान आकार का आवासीय भूखण्ड रिजर्व प्राईस की 25 प्रतिशत दर पर आवंटन किया जाना है, अतः यदि संबंधित सेक्टर में समान आकार का भूखण्ड उपलब्ध न हो तो संबधित अवार्डियों की वरीयता लॉटरी से तय की जावे व तदुपरान्त वरीयतानुसार भूखण्ड आकार का विकल्प लेकर भूखण्ड आवंटन किया जावे।

4- विकसित भूमि आवंटन के मामले में राज्य सरकार पत्र दिनांक 20.05.2010 द्वारा नियोजित भूखण्ड के आवंटन के पश्चात् शेष बची भूमि का नकद मुआवजा दिये जाने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में मुआवजे धारको द्वारा मांग की गई है कि जिन मामलों में नियोजित भूखण्ड आवंटन के पश्चात् 10 से 15 वर्ग गज तक अधिक क्षेत्र आवंटन से यदि उपलब्ध नियोजित आकार का भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। तो मुआवजे धारकों से उक्त अतिरिक्त क्षेत्र की कीमत ली जाकर आवंटन हो। इस बाबत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये प्रस्तुत बिन्दु को अस्वीकृत किया गया।

5- विकसित आवासीय भूमि आवंटन के मामले में आवंटी को आवंटित किये जाने वाला क्षेत्रफल यथासम्भव एक साथ आवंटन किये जाने की मांग की गई जिसे अस्वीकृत किया गया। 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूखण्ड बाबत योजना बनाकर भूखण्डों का आकार व लॉटरी प्रणाली ऐसी रखी जावे कि एक अवार्डधारी को देय व्यवसायिक भूखण्ड यथा सम्भव उसी सेक्टर में निरन्तता में आवंटित हो सके।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

6– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 26.10.2004 में ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 217 अवार्ड सं. 3,4,5,6 जिसमें 6.13 बीघा भूमि दर्ज है, जबकि विवेक विहार योजना के तहत 9.10 बीघा भूमि दी जाकर नामान्तरण 9.10 बीघा का लिखा गया है। इस बिन्दु पर विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिकार्ड मंगाया जावे इस हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि उनके यहां कार्यरत् भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं संबधित लिपिक को अवार्ड के साथ भिजवायें जिससे भूमि अवाप्ति की कार्यवाही का सत्यापन किया जा सके।

7– ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 302,303,306 में कुछ पट्टासुद भूखण्ड धारको के नाम अवार्ड में दर्ज नही हैं, जबकि उक्त रूपान्तरित भूखण्ड धारकों को ए.डी.एम. (एल.सी) द्वारा पट्टे जारी किये गये है। उक्त खसरो की पूरी भूमि आवप्ति की जा चुकी हैं। इस बिन्दु पर विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि केस–टू–केस तय किया जावे।

8– राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.05.2010 अनुसार गैर रूपान्तरित भूखण्ड के मामले में 300 वर्ग गज तक समान आकार का भूखण्ड दिये जाने के निर्देश है। इससे अधिक आकार का गैर रूपान्तरित भूखण्ड होने की स्थिति में निम्नानुसार विकल्प दिये जा सकते हैं:–

1– संपूर्ण भूखण्ड के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की आवासीय भूमि निःशुल्क दी जावे।

या

2– 300 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड 75 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर पर दी जावे व शेष भूमि का नकद मुआवजा दिया जावे।

9– इसके अतिरिक्त भी कुछ मामलों में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल आवटी के नाम में बदलाव अथवा अन्य व्यवहारिक समस्याओं संबंधी प्रकरणों में परीक्षण कर भूमि अवाप्ति अधिकारी के स्तर पर अधिनियम व राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जावे। किसी प्रकरण विशेष में कोई निर्णय बिन्दु कार्यकारी समिति के स्तर का हो तो प्रकरण पेश किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: श्री सी.के. बाफना सेवानिवृत निदेशक–अभियांत्रिक को सलाहकार नियुक्त करने के संबंध में विचार विमर्श।

श्री सी.के. बाफना जो दिनांक 8 जुलाई, 2011 तक प्राधिकरण में निदेशक आयोजना के पद पदस्थापित थे, ने दिनांक 11 जुलाई, 2011 को ऐच्छिक सेवानिवृति ली है, ने प्राधिकरण मे सलाहकार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि:–

1– श्री सी.के. बाफना सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश कमांक प 1 (21) सानि / 78 / ई– 297 दिनांक 23 जुलाई, 2011 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2011 अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके कम में श्री बाफना को अपने पैतृक विभाग में उपस्थिति देने हेतु दिनांक 8 जुलाई, 2011

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

को मध्यान्ह पश्चात् कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा दिनांक 11 जुलाई, 2011 को श्री बाफना सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य मुक्त हो चुके हैं।

2— जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9 में कार्मिकों के पदों के निर्धारण व नियुक्ति बाबत अधिकारी प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजन होने पर कार्यकारी समिति को प्रदत्त है। कार्यकारी समिति को यह अधिकार प्रदत्त करने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनाक 9 जून, 2009 में जरिये प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा उक्त आशय का निर्णय लिया गया है।

3— श्री बाफना की उक्त पद पर प्राधिकरण में नियुक्ति हेतु निम्नांकित शर्तें अवधारित की गई है:—

(i) श्री सी.के. बाफना का मुख्यालय जयपुर होगा।
(ii) मानदेय मात्र 1/— रूपये प्रतिमाह रहेगा।
(iii) श्री बाफना को मोबाईल फोन, यात्रा भत्ता व वाहन सुविधा निदेशक अभियांत्रिकी के समकक्ष देय होगी।
(iv) श्री बाफना, जोधपुर विकास आयुक्त (जे.डी.सी.) के निर्देशों के अनुसार अभियांत्रिकी व नियोजन के विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श संबधी कार्य करेंगे एवं सप्ताह में न्यूनतम 2 दिवस जोधपुर मुख्यालय पर रहेंगे।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सी.के. बाफना द्वारा सेवानिवृति से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न विस्तृत परियोजनाएं बनायी गई जिस पर अब कियान्विती प्रारम्भ हुई इसलिए प्राधिकरणहित में इन कार्यों हेतु सलाह एवं पर्यवेक्षण हेतु इनकी सेवाएं उपरोक्तानुसार प्रस्तुत रूप में लिया जाना उपयुक्त है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, इसलिए प्रकरण में सलाहकार पद सृजन व नियुक्ति हेतु अभिशंषा करते हुए राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: मदनलाल काबरा चेरीटेबल ट्रस्ट जोधपुर को किये गये भूखण्ड आवंटन को निरस्त करने की पुष्टि।

मदनलाल काबरा चेरिटेबल ट्रस्ट, भीलवा को तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 17 जून, 2008 के प्रस्ताव संख्या 54 द्वारा न्यास की विजयराजे नगर आवासीय योजना में आरक्षित चिकित्सा सुविधा हेतु भूमि 2207.03 वर्ग मीटर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन—पत्र जारी किया गया था। प्रकरण की जांच करने पर निम्नलिखित कमियां पायी गयी:—

1— संस्थान द्वारा कॉपरेटिव एक्ट/ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन नहीं है। पंजीयन कमांक में ट्रस्ट डीड के नम्बर लिखे है। ट्रस्ट डीड भीलवाडा उप पंजीयक के यहां रजिस्टर्ड हुआ है। अतः राजस्थान भूमि निष्पादन नियम, 1974 की आवंटन के समय पालना नहीं की गयी है।

2— संस्था का पंजीयन दिनांक 21 जुलाई, 2007 को हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14 फरवरी, 2005 के नियम के अनुसार संस्थान को आवंटन करने से पूर्व संस्थान का रजिस्ट्रेशन तीन वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है तथा आय—व्यय का ब्यौरा भी तीन वर्ष पूर्व का होना चाहिए किन्तु उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए भूमि का आवंटन किया गया जो अनियमित है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3– परिपत्र व आवंटन पत्र की शर्त अनुसार दो वर्ष में निर्माण अनुज्ञा दी जावेगी व दो वर्ष में भवन निर्माण पूर्ण करना होगा तथा एक वर्ष में मानचित्र अनुमोदन करना था किन्तु संस्था द्वारा इसकी पालना नहीं की गयी।

4– चिकित्सा नीति 2006 के अनुसार संस्था नीति के अनुसार पात्र नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र अयोग्य करार दिया गया है तथा संस्था मेडिकल कॉलेज अथवा चिकित्सा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

अतः उपरोक्त कमियों के मद्देनजर रखते हुए संस्थान को इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ46/आवंटन/2010/262/8895–96 दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अपना पक्ष दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसके कम में संस्थान द्वारा उक्त पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2010 के कम में प्रतिउत्तर दिनांक 9 मार्च, 2011 जो इस कार्यालय में दिनांक 11 मार्च, 2011 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत किया। संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर उपयुक्त नहीं पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ. 46/आवंटन डीसी ईस्ट/ जोविप्रा/ 2011/ 10704 दिनांक 30 जून, 2011 द्वारा निरस्त किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा किये गये उक्त निरस्तीकरण की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रश्नगत भूखण्ड को निरस्तीकरण का अनुमोदन किया जावे एवं इस भूखण्ड को नीलामी में रखा जाकर नियमानुसार नीलाम किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का पद स्वीकृत करने बाबत।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में ई–गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत न्यास कार्यकाल में समय से अनेक कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से करवाये जाने हेतु मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेर्स सये अनुबंध किया हुआ है। प्रमुख रूप से निम्न कार्य अनुबन्धक से करवाये जा रहे हैं:–

Urban assessment/Lease billding and collection, on line cash collection scheme, Query terminal for grievance & redressal system, Scheme monitoring and estate management system, Double Entry accounting system and budgetary control, letter and file movement system, Employee record and salary system. Website and system regularisation of pattas etc.

प्राधिकरण द्वारा नवीन आवासीय योजनाओं के कियान्वयन, अभिलेखों की स्केनिंग का कार्य भी कम्प्यूटर के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। प्राधिकरण में ई–गवर्नेंस योजना को और सुदृढ किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में प्राधिकरण में एक भी पद कम्प्यूटर विशेषज्ञ का स्वीकृत नहीं है। इसके कारण कम्प्यूटर संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण व प्रकियात्मक सुधार में कठिनाई हो रही है। इस हेतु एक कम्प्यूटर विशेषज्ञ का प्राधिकरण में होना नितान्त आवश्यक है।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में एक एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का पद स्वीकृत किया जावे एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन बाबत या प्राधिकरण स्तर पर भर्ती के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: भदवासिया ओवरब्रिज निर्माण हेतु कृषि उपज

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

मण्डी एवं रोडवेज की भूमि लिये जाने हेतु।

1— बैठक में अवगत कराया कि भदवासिया लेवल क्रॉसिंग (सी–7) पर 4 लैन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 35.00 करोड रूपये की लागत से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा बनाया जा रहा है। उक्त आर.ओ.बी. निर्माण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के वर्कशॉप व डीपो की 4531.96 वर्ग मीटर भूमि तथा 1624.51 वर्ग मीटर भवन के अधिग्रहण की आवश्यकता रहेगी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड के स्वामित्व की उक्त भूमि के बदले समान मूल्य की भूमि देसूरिया विश्नोईयां में उपलब्ध करवायी जावे। देसूरिया विश्नोईयां में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला व सेटेलाईट बस स्टेण्ड का निर्माण किया जायेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि की मूल्यांकन (कीमत) राशि वर्तमान व्यवसायिक डी.एल.सी. दर पर आधारित होगी तथा बदले में दी जाने वाली भूमि की कीमत राशि यदि दी जाने वाली भूमि से अधिक होगी तो तदनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा अधिक राशि का भुगतान प्राधिकरण को करना होगा।

2— उक्त भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए कृषि उपज मण्डी (फल व सब्जी) जोधपुर की 2129.18 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा पूर्व में ही 1137.43 वर्ग मीटर भूमि दिये जाने की सहमति दे दी है। सम्पर्क सडक, एप्रोच व दुकानदारों तथा कियोस्क धारियों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करायें जाने की दृष्टि से 2129 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता रहेगी।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त मण्डी समिति की 2129.18 वर्ग मीटर भूमि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए ली जावे और जोधपुर विकास प्राधिकरण उक्त भूमि के बदले ट्रांसपोर्ट नगर आंगणवा के समीपस्थ लगभग 119 बीघा भूमि उपलब्ध करायेगा। बैठक में कृषि उपज मण्डी द्वारा प्राधिकरण की दी जाने वाली भूमि की कीमत 2182 रूपये प्रति वर्ग फीट डी.एल.सी. दर को आधार मानकर 4.99 करोड रूपये आंकी है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि कृषि उपज मण्डी को प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर आंगणवा के समीपस्थ उपलब्ध लगभग 119 बीघा भूमि उपलब्ध करायी जावे तथा उसका मूल्यांकन व्यवसायिक डी.एल.सी. दर के आधार पर किया जावे तथा कृषि उपज मण्डी द्वारा दी जाने वाली भूमि के मूल्यांकन के उपरान्त उक्त लगभग 119 बीघा भूमि कीमत राशि यदि देय होगी तो कृषि उपज मण्डी को प्राधिकरण में भूमि की कीमत राशि के पेटे जमा करानी होगी।

प्रस्ताव संख्या :: वाहन किराये हेतु टेण्डर के संबंध में।

9

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में कार–टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु टेण्डर किये गये थे जिसमें यह शर्त रखी गयी कि टेण्डरदाता के पास स्वयं के पांच वाहन होने आवश्यक है। उसके अनुसार पांच टेण्डर प्राप्त हुए जिसे टेण्डर कमेटी द्वारा खोला गया तथा सबसे कम बोलीदाता का टेण्डर इस आधार पर खारिज किया गया कि उसके पास पांच वाहनों में पांचों वाहन इण्डिका कार नहीं है तथा शेष तीन की टेण्डर राशि अधिक होने से चारों को रिजेक्ट किया जाकर टेण्डर कार्यवाही को निरस्त करते हुए नये टेण्डर करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि टेण्डर समिति द्वारा इस आधार पर निविदा प्रस्ताव अयोग्य मानना गलत है कि संवेदक

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1345-79

ने 5 इण्डिका वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेज पेश न कर सभी प्रकार के वाहनों के स्वामित्व कागजात पेश किए हैं। निविदा शर्तों में यह अंकन था कि निविदादाता के स्वामित्व में 5 वाहन होने चाहिए। अतः समिति द्वारा किया गया डिस्क्वालिफिकेशन अनुचित मानते हुए समिति को पुनः तुलनात्मक विवरण तैयार कर निविदा का निर्णय नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए। 27/7/2011.

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / JDA/24/DCE'/1802-71/ 1345-79. दिनांक : 27 जुलाई, 2011 ✓

प्रतिलिपि:-

01 प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त / अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. आयुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, —do—
17 अधिशासी अभियन्ता JDA-सम्बन्धित
18 अधि. अभि. अभियन्ता —
19 — — पश्चिम —
20 — — उत्तर —
21 — — दक्षिण —
22 — — विद्युत —
23 — — मुख्यालय —
24 — पंजीयन अधिकारी JDA सम्बन्धित

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1345-79

25/7/11

परिशिष्ट–1

दिनांक 13 जुलाई, 2011 को अपरान्ह 1.00 बजे श्रीमती आनन्दी, आई.ए.एस. आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री हरजी राम अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री के.सी. गोदानी, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री रामलाल, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (कार्यकारी निदेशक–अभियांत्रिक)
4. श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री विशाल दवे, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
6. श्री मनोज चौधरी, अति. पुलिस आयुक्त–पूर्व, पुलिस, जोधपुर
7. श्री वी.के. जैन, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
8. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री हनुमानप्रसाद सोनी, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री पी.सी. गौड, पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
11. श्री अनील के व्यास, ए.ई.डब्ल्यू. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. श्री कैलाश रामदेव, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
13. श्री गजेन्द्र भण्डारी, आर.एस.आर.डी.सी., जोधपुर

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे:–

1. श्री चुन्नीलाल सैनी, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री एन.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor